न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 14/2018 (76 एलआरए) जीताराम बनाम सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00065)

जीताराम पुत्र श्री किशनाराम

जाति कुम्हार, निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर दिनांक 23.02.2018 अंतर्गत राजस्व प्रकरण सं. 60/2017 एवं तहसीलदार बिलाड़ा का आदेश दिनांक 10.10.2017 अंतर्गत प्रकरण सं. 32/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चंपावत।

2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर के राजस्व प्रकरण सं. 60/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2018 एवं तहसीलदार बिलाड़ा का आदेश दिनांक 10.10.2017 अंतर्गत प्रकरण सं. 32/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर (भू.रू.) जोधपुर के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय तहसीलदार बिलाड़ा के आदेश दिनांक 10.10.2017 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई।

28/6

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि खेत खसरा नं. 690 रकबा 3 बीघा भूमि मौजा पिचियाक तहसील बिलाड़ा जोधपुर में आइ हुई जिस पर अपीलांट का संवत 2012 से आज दिन तक लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट अपीलांट खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होने के कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपीलांट को खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकार्ड में कानूनन दर्ज करना चाहिए था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशाली हुआ उस समय अपीलांट खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहा इस कारण अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत उक्त भूमि का खातेदार हो चुका था। इस कारण अपीलांट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है व अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य था। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा अपीलांट को जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया तथा तहसीलदार बिलाड़ा ने मात्र दो पेशियों में ही अंतिम आदेश पारित कर दिया इस कारण तहसीलदार बिलाड़ा का आदेश पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज किए जाने योग्य है। प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर ने उक्त कानूनी बिंदु के संबंध में उचित कारण नहीं बताते हुए अपीलांट की अपील जरिए अपीलाधीन आदेश के ख़ारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चंपावत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि तहसीलदार बिलाड़ा ने अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जबाब व साक्ष्य पेश करने का कोई मोका नहीं दिया तथा तहसीलदार बिलाड़ा ने मात्र दो पेशियों में ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया। तहसीलदार बिलाड़ा का आदेश पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण खारिज करने के योग्य है। तहसीलदार बिलाड़ा ने अपने निर्णय में कोई कानूनी बिंदु का उल्लेख नहीं किया है तथा अपना निर्णय छपा छपाया प्रिंटेड प्रारूप वाला

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित कर दिया है तथा अपने निर्णय में कोई रीजनिंग या फाइंडिंग नहीं दी। तहसीलदार बिलाड़ा का आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 690/1 के नजदीक विवादित खसरा नं. 690 स्थित है। उक्त खसरा अपीलांट की खातेदारी भूमि के नजदीक होने के कारण नियमन कराने का एक मात्र अधिकारी अपीलांट ही था, उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज हूं। करीब 50 साल से उक्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है। इस कारण प्रकरण नियमन का बनता है। उक्त भूमि कृषि भूमि है अपीलांट का विवादित भूमि पर काश्त कब्जा रहा है तथा अपीलांट ने खसरा परिवर्तनशील नकलें पेश कर कब्जा व काश्त साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यू रिकार्ड एवं पुराने नियमन परिपत्रों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिए गए हैं। प्रथम अपील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.02.2018 में भी उक्त बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया है एवं अपीलांट की प्रथम अपील खारिज कर दी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाड़ा का निर्णय दिनांक 10.10.2017 एवं प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय दिनाक 23.02.2018 का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाड़ा एवं प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) का अपीलाधीन आदेश अपीलांट अतिक्रमी होने के कारण सही पारित किया है। आदेश साइक्लोस्टाइल अवश्य है जो केवल तकनीकी त्रुटि है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार बिलाड़ा ने जो आदेश दिनांक 10.10.2017 को प्रकरण संख्या 32/2017 में पारित किया है उसका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह साइक्लोस्टाइल फार्म पर पारित किया गया है जिसमें कई जगह खाली स्थान हैं जिससे निर्णय स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। निर्णय में एक स्थान पर फसल नीलामी के

28/6
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश दिए हैं तो दूसरी ओर यह भी अंकित है कि फसल नष्ट हो चुकी है जो कि विरोधाभाषी है। इस प्रकार की त्रुटि को तकनीकी त्रुटि नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिए गए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व विधि के प्रावधानों का पूर्णतया पालन नहीं किया है। प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा भी अपने निर्णय में उक्त त्रुटि पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अतः प्रकरण रिमांड योग्य पाया जाता है।

8 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2018 एवं तहसीलदार बिलाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2017 निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिलाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें

28/6/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर